राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/म0स्वा0कार्य0/सीधी भर्ती 2018/2020/ 146 दिनांकः– 18.1.2020

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (गैर अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती–2018
अंतिम चयन सूची

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के 4965 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति क्रमांक नर्सिंग/म0स्वा0कार्य0/एमएनआईटी/(सीधी भर्ती–18)/ 2018/1363 दिनांक 18.06.2018 जारी कर भर्ती एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 22.06.2018 से दिनांक 23.07.2018 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की पालना में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किये गये थे। जिसके संदर्भ में अंतरिम वरीयता सूची निदेशालय के क्रमांक अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/म0स्वा0कार्य0/सीधी भर्ती 2018/2019/41 दिनांक 14.12.2019 जारी कर दिनांक 25.12.2019 तक ऑनलाईन परिवेदनाऐं आमंत्रित की गई थी, 1265 प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण कर निस्तारण करने के उपरान्त संलग्न सूची में उल्लेखित कुल 3912 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जा रही है। जिसमें निदेशालय के आदेश क्रमांक 119 दिनांक 11.01.2020 के द्वारा MBC वर्ग के 4 प्रतिशत अतिरिक्त सृजित पदों पर MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुये भर्ती एजेन्सी द्वारा तैयार की जा कर अंतिम चयन सूची उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें विज्ञापित पदों का वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	2487
2.	अनुसूचित जाति	787
3.	अनुसूचित जनजाति	590
4.	अन्य पिछडा वर्ग	1031
5.	अति पिछडा वर्ग	243
6.	सहरिया	22
	कुल	**5160**

रोस्टर के अनुसार कुल पदों की संख्या व कटऑफ निम्नानुसार हैः–

वर्ग	पद	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता	कट ऑफ प्रतिशत	जन्म तिथि
अनारक्षित	2452	2207	196	49	51.750	1.7.93
अनुसूचित जाति	757	682	60	15	43.434	10.10.89
अनुसूचित जनजाति	570	514	45	11	41.692	15.7.94
अन्य पिछडा वर्ग	966	870	77	19	50.109	2.8.92
अति पिछडा वर्ग	223	202	17	4	36.050	26.1.96

सहरिया	17	16	1	0	40.559	10.7.92
कुल	**4985**	4491	396	98	–	–

अंतिम चयन सूची (Final Select List) तैयार करने में प्रचलित भर्ती नियमों/आरक्षण/माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/अन्य संबंधित नियमों/नीति निर्धारण समिति के निर्णयों का ध्यान रखा गया है जो निम्नानुसार है–

1. दिनांक 16.10.2019 को विभागीय बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आवश्यकतानुरूप माननीय न्यायालय के आदेशों, उत्कृष्ठ खिलाड़ी एवं अन्य कारणों से 175 पद (35 सामान्य + 65 ओ.बी.सी. + 20 एस.टी. + 30 एस.सी. + 5 सहरिया + 20 एम.बी.सी.) अंतिम चयन सूची (Final Select List) में सुरक्षित रखे गये हैं।
2. राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम–19 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को सत्यापित किये जाने के उपरान्त प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांकः आई.डी. 1133/चिस्वा./ग्रुप–3/2018 दिनांक 24.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ दिया गया है।
3. इस भर्ती बाबत् माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं में से ऐसे अभ्यर्थी जो माननीय न्यायालय के निर्णय से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किये गये एवं अंतिम चयन सूची में स्थान पाने हेतु प्रतिस्पर्धा में स्थान बना पा रहे हैं, माननीय न्यायालय के निर्णयों व विभागीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए उनका भर्ती परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है।
4. जामिया उर्दू, अलीगढ़ से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में भर्ती प्रकिया में सम्मिलित करते हुए इनका परिणाम रोका गया है। शेष अन्य सैकण्डरी बोर्ड की अंकतालिकाओं में प्राप्तांकों की गणना व मान्यता के सम्बन्ध विभिन्न बोर्डो से प्राप्त निर्देशों का अनुसरण किया गया है।
5. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयुपर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया जाकर पंजीयन मान्य अथवा अमान्य किया गया है। इस संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13299/2017 मंजू देवी बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2017 के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिये यदि आवेदन कर दिया गया है और दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ होने की तिथि तक प्राप्त हो गया है, तो मान्य किया गया है।
6. विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में चिकित्सा मण्डल, राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया चिकित्सालय एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर केवल ओ–एल (One Leg) श्रेणी के विशेष योग्यजन को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। ओ–एल (One Leg) श्रेणी से भिन्न श्रेणी का होने पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं के संबंध राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया चिकित्सालय एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट को ही मान्य किया गया है।
7. नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 6.9.19 में लिये गये निर्णय के क्रम में अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शायी गई उस अनुभव अवधि को कम कर दिया गया है जो अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान नर्सिंग

कौन्सिल, जयपुर में बिना पंजीयन कराये नौकरी हासिल कर लेने के कारण प्राप्त कर ली गई थी। इस बाबत राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर से प्राप्त डेटा के आधार पर कार्यवाही की गई है।

8. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11379/2019 एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका 13639/2018 पर माननीय न्यायालय के निर्णयों के क्रम में अन्य राज्यों में एन.एच.एम. योजना में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
9. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13690/2018, 13750/2018 एवं 13902/2018 पर माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अन्य राज्यों में चिकित्सा विभाग के अंर्तगत कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
10. इसी प्रकार रिट यचिका संख्या 12788/2018 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2019 के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अन्य विभागों/अन्य पदों पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
11. पी.पी.पी. मोड पर कार्यरत अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.1.2020 के तहत अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी किया गया है।
12. माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 10481/2019 पर दिये गये निर्णय के क्रम में सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत अंकों का डेटा नियुक्ति पूर्व जारी किया जाना है। इस सम्बन्ध में दिनांक 27.05.2019 को जारी दस्तावेज सत्यापन के नोटिस में उल्लेखितानुसार दस्तावेज सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये डेटा में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त प्राप्त डेटा अनुसार संशोधित कटऑफ का प्रकाशन भी अंतिम चयन सूची (Final Select List) के साथ किया जा रहा है।
13. जिन अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम किसी भी कारण से रोका गया है, उनकी सूची का भी प्रकाशन किया जा रहा है।
14. विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 3 (v) के अनुसार पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार ही आरक्षित वर्ग का लाभ दिया गया है। अतः पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र एवं जाति वर्ग परिवर्तन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों एवं नीति निर्धारण समिति के निर्णयों के क्रम में पूर्व में पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन तक भी पिता के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ऐसे प्रमाण पत्रों को अमान्य कर संबंधित अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में कन्सिडर किया गया है।
15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील यचिका संख्या 8425/2013 पर दिये गये निर्णय के क्रम में अन्य राज्यों की ऐसी महिलाएं जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है एवं वे महिलाऐं जो राजस्थान राज्य की निवासी हैं, किन्तु जिनके दस्तावेजों में राजस्थान राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया गया हो जिसमें उनके पिता की जाति का उल्लेख हो, उन्हे आरक्षण के सामान्य नियमों को अपनाते हुए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है।
16. विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा कुमारी धाकड़ बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश में आवेदन करने की तिथि तक प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ही इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को लाभ दिये जाने का निर्णय दिया है। अतः तद्नुरूप समानता

अपनाते हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों हेतु भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया गया है।

17. उत्कृष्ठ खिलाड़ी संवर्ग में प्राप्त आवेदनों का कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.19 के क्रम में संबंधित संस्था से पुनः पुष्टिकरण कराया जाना होगा। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने खेलकूद सम्बन्धी प्रमाणपत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेखित खेल संस्थानों के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कराते हुए प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। अतः वर्तमान में इस संवर्ग के अन्तर्गत पद सुरक्षित रखते हुए अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जा रही है।
18. विशेष योग्यजन श्रेणी में आई.डी. संख्या 4201663, 4204444, 4211890, 4212628, 4212636 को निःशक्तता की जांच निर्धारित की जाने वाली तिथि पर मेडिकल बोर्ड से कराये जाने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अंतिम अवसर की सूचना दिये जाने पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच हेतु अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके लिये सुरक्षित रखे गये पदों पर अन्य सामान्य अभ्यर्थियों का वरियतानुसार चयन कर पद भर दिये जायेगें।
19. दस्तावेज सत्यापन के अध्याधीन जिन अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है, ऐसे 18 अभ्यर्थी दिनांक 24.1.2020 को प्रातः 10.00 बजे प्रभा भवन, मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो।
20. यह अंतिम चयन सूची है, इसके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।
21. यह चयनित सूची संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो एवं माननीय न्यायालयों मे विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में पारित अंतिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः- अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/म0स्वा0कार्य0/सीधी भर्ती 2018/2020/146 दिनांकः- 18.1.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अंतिम चयन सूची को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर